इसका अभिप्राय यह है कि उसे शिक्षा पाने का लाभ मिला। इस प्रकार निचले स्तर पर कुशल श्रमिक को एक अतिरिक्त मत और फोरमैन को दो अतिरिक्त मत और सबसे ऊपर के स्तर पर लेखकों कलाकारों, सरकारी अधिकारीयों विश्वविद्यालय के स्नातकों और शैक्षिक संस्थाओं के सदस्यों आदि पेशेवर लोगों के पाँच मत की थी। बहुल मतदान से यह बात सुनिश्चित होगी कि इससे उच्चतर क्षमता के प्रतिनिधी चुने जाएँगे इस प्रकार संसद में घटिया स्तर के सदस्यों के न चुने जाने से सामान्य हितों को किसी प्रकार की हानि नही होगी।

मिल ने अपने दो सिद्धांतो को लोकतंत्र की दूसरी संस्थाओं में भी संयोजित करना चाहा। इसका एक उदाहरण प्रतिनिधी विधानसभा को ले सकते है मिल ने कहा कि इस संस्था को "शिकायत समिति" और सम्मति सभा के रूप में कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के हितों को कैसे अधिक अच्छे ढंग से सुरक्षा प्रदान की जाय। उसी समय मिल ने कहा कि यह न तो विधी निर्माण के कार्य के लिए उपयुक्त हो और न प्रशासन के लिए।